प्राक्कथन

अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण एवं विकास हेतु भारत के संविधान में निहित विशिष्ट प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से सरकार द्वारा कई विधायी तथा कार्यकारी उपाय किए गए हैं। उत्तरोत्तर पंचवर्षीय योजनाओं ने सामान्य जनसंख्या तथा अनुसूचित जनजातियों की जीवन निर्वाह परिस्थितियों के बीच का अंतर कम करने का प्रयास किया है। 1970 के दशक में केन्द्र सरकार द्वारा निरूपित ज.जा.उ.यो. कार्यनीति का मुख्य उद्देश्य देश के बाकी हिस्से में जनजातीय जनसंख्या के विकासात्मक अंतर को कम करना था। वास्तव में, जनजातीय उप-योजना अपने आप में एक कार्यक्रम न होकर एक योजना कार्यनीति है जिसमें वर्तमान समय में केन्द्र एवं राज्य स्तरों पर 28 मंत्रालय एवं विभाग तथा उनके कार्यान्वयन अभिकरण शामिल हैं।

हमें सांसदों समेत विभिन्न हितधारकों से अनुरोध प्राप्त हुए जिनमें समाज के अपेक्षाकृत पिछड़े वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों, के लिए बनाए गए कार्यक्रमों तथा योजनाओं की लेखापरीक्षा की आवश्यकता पर बल दिया गया था। पूर्व में हमारे द्वारा प्रस्तुत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में अनुसूचित जाति (अ.जा.) तथा अनुसूचित जनजातियों (अ.ज.जा.) के लाभ हेतु निर्मित कार्यक्रमों तथा योजनाओं पर जाँच परिणाम शामिल किये गये थे परंतु हमारे हाल के किसी भी प्रतिवेदन में जनजातीय उप-योजना केन्द्र बिन्दु नहीं रहा है। ज.जा.उ.यो. दिशानिर्देशों को वर्ष 2010 में व्यापक रूप से संशोधित किया गया। अतः हमने इस लेखापरीक्षा को 2014-15 के दौरान करने का निर्णय लिया।

ज.जा.उ.यो. के व्यापक विस्तार के कारण इसकी लेखापरीक्षा करना चुनौतीपूर्ण था। इसलिए, हमने केवल शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्रों के चयनित घटकों पर ध्यान केन्द्रित किया। इस प्रतिवेदन में ज.जा.उ.यो. के कार्यान्वयन तथा इसके माध्यम से वित्तपोषित जनजातीय जनसंख्या के लाभ हेतु योजनाओं एवं कार्यक्रमों के प्रतिपादन के लेखापरीक्षा परिणाम शामिल हैं।

हमने पाया कि 28 केन्द्रीय मंत्रालयों तथा विभागों के विभिन्न कार्यक्रमों तथा योजनाओं के अंतर्गत चिन्हित ज.जा.उ.यो निधियों को आदिवासियों के लाभ हेतु राज्य स्तर पर उपयोग हेतु प्रवाहित नहीं किया गया। अधिक जनजातीय उपस्थिति वाले नमूना जिलों की हमारी लेखापरीक्षा में आदिवासियों के लिए आवश्यकता आधारित योजना बनाए जाने में कमी पाई गयी जिसका परिणाम

स्वास्थ्य सेवा हेतु अपूर्ण अवसंरचना एवं सुविधाएँ तथा शिक्षा क्षेत्र के महत्वपूर्ण घटकों में अ.ज.जा. विद्यार्थियों को सहायता के अभाव में हुआ। यह प्रतिवेदन ज.जा.उ.यो. कार्यनीति के कार्यान्वयन की स्थिति को विस्तार से प्रस्तुत कर इसके बेहतर संचालन के लिए अनुशंसाएँ करता है।

इस प्रतिवेदन को भारत के संविधान की धारा 151 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की गई है।